

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 नवम्बर 2010—कार्तिक 14, शक 1932

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

पंचम तल, "मेट्रो प्लाजा" बिट्टन मार्केट, ई-5, अरेरा कॉलोनी

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2010

क्र. 2910-म.प्र.विनिआ-2010.—विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 में प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में प्रदत्त अन्य समस्त शक्तियों के निर्वहन में, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्वारा निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परिपालन अंकेक्षण) विनियम, 2010

1. प्रस्तावना.—विनियामकों के फोरम (Forum of Regulators) ने विनियमित इकाईयों (Regulated Entities) हेतु विद्युत अधिनियम 2003 तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये विनियमों के परिपालन के सत्यापन बाबत परिपालन अंकेक्षण (Compliance Audit) विनियम विनिर्दिष्ट किये हैं. तदनुसार, निम्न विनियम तैयार किये गये हैं.

2. संक्षिप्त शीर्षक, सीमा तथा प्रारंभ.—2.1 ये विनियम “मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परिपालन अंकेक्षण) विनियम, 2010 (जी-36, वर्ष 2010)” कहलायेंगे.

2.2 ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य की सीमाओं के अंतर्गत प्रभावशील होंगे.

2.3 ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के शासकीय राजपत्र में इनकी प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे.

3. परिभाषाएं तथा व्याख्याएं.—3.1 जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक इन विनियमों में :—

(अ) “अधिनियम (Act)” से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003);

(ब) “विनियमित इकाई (Regulated Entity)” से अभिप्रेत है विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी या विद्युत उत्पादन कम्पनी या विद्युत पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र (स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर).

3.2 इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द या अभिव्यक्तियां जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है, परन्तु अधिनियम में दर्शाया गया है वही अर्थ रखेंगी जैसा कि अधिनियम में इनके संबंध में दर्शाया गया है.

4. परिपालन अंकेक्षण (Compliance Audits).—4.1 आयोग, किसी भी समय, किसी भी विनियमित इकाई का अंकेक्षण, अधिनियम तथा आयोग द्वारा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, विनियमों तथा आयोग द्वारा जारी आदेशों तथा दिशा-निर्देशों के सत्यापन के संबंध में कार्यान्वित कर सकेगा.

4.2 आयोग, किसी आदेश द्वारा, इन कृत्यों के निर्वहन में आयोग को सहायता प्रदान करने में आयोग द्वारा निर्धारित निबंधनों तथा शर्तों पर, जैसा कि वे उपयुक्त समझी जाएं, वांछित परामर्शियों/अंकेक्षकों को सूचीबद्ध कर सकेगा.

4.3 आयोग या तो उसकी सूची में सम्मिलित किये गये परामर्शियों/अंकेक्षकों को अंकेक्षण कार्य के लिये अथवा नवीन चयन की प्रक्रिया द्वारा आवश्यकतानुसार, किसी विशिष्ट आवश्यकता हेतु, नियुक्त कर सकेगा.

4.4 आयोग, आपवादिक प्रकरणों में, जहां यह उपयुक्त हो, परामर्शियों/अंकेक्षकों के एकल स्रोत चयन पर भी विचार कर सकेगा.

4.5 आयोग, किसी अंकेक्षण पर पहल किये जाने से पूर्व, संविदा शर्तें (Terms of Reference) तैयार करेगा जिनमें कार्य के संबंध में परामर्शी/अंकेक्षण द्वारा प्रदान किये जाने वाले विशिष्ट अपेक्षित परिणामों के विवरण, वह समय सीमा, जिसके अन्तर्गत कार्य पूर्ण किया जाना है तथा कार्य के संबंध में अन्य सुसंबद्ध शर्तें उपलब्ध कराये जाएंगे.

4.6 आयोग, विनियमित इकाई का अंकेक्षण कार्य आरंभ करने से पूर्व, एक आदेश के माध्यम से, परामर्शी/अंकेक्षण को आयोग द्वारा तैयार की गई संविदा शर्तों पर अंकेक्षण संबंधी विशिष्ट कार्य निर्दिष्ट करेगा.

5. परामर्शी/अंकेक्षक से आवश्यकताएं (Requirements of Consultant/Auditor).—परामर्शी/अंकेक्षक व्यावसायिक, वस्तुनिष्ठ तथा निष्पक्ष परामर्श प्रदान करेंगे तथा भविष्य के किसी कार्य पर विचार किये बिना सदैव आयोग के हितों को सर्वोपरि रखेंगे तथा यह भी कि अपना परामर्श देते समय, वे अन्य आवंटनों (assignments) के संबंध में उपजे विवादों तथा उनके स्वयं के निगमित हितों का परिवर्जन करेंगे. परामर्शी/अंकेक्षक किसी ऐसे आवंटन हेतु भाड़े पर नियोजित नहीं किये जाएंगे जो उनके पूर्व या अन्य पक्षकारों के प्रति चालू दायित्वों से विरोधाभास रखते हों अथवा आयोग के सर्वोत्तम हित में आवंटन के निष्पादन में उसे असमर्थता की स्थिति में रखें. उपरोक्त उद्धरण की व्यापकता की परिसीमाओं में भले जो भी उल्लेख किया गया हो, परामर्शियों/अंकेक्षकों को निम्न निर्धारित की गई परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए नियोजित किया जाएगा :—

- (i) किसी विशिष्ट अंकेक्षण हेतु नियोजित किये गये किसी परामर्शी या अंकेक्षक को आयोग द्वारा उसे नियोजित की गई तिथि से दो (2) वर्ष की पूर्व अवधि तक न तो विनियमित इकाई में पदस्थ होना चाहिए तथा न ही उसका उक्त इकाई में वाणिज्यिक अथवा किसी प्रकार का अन्य हित निहित होना चाहिए.

- (ii) किसी अंकेक्षण कार्य का संचालन करते समय, परामर्शी या अंकेक्षक से इसका निष्पादन ईमानदारी पूर्वक, न्यायसंगत, व्यावसायिक रूप से, स्वतंत्रतापूर्वक तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से अपेक्षा की जाती है तथा यह भी कि वह कौशल का एक ऐसा मानदण्ड, सावधानी तथा कर्मिष्ठता का संव्यवहार करेगा जिसके न्यायोचित होने की अपेक्षा एक ऐसे व्यक्ति से की जाती है जो कुशल है तथा जिसे किसी अंकेक्षक द्वारा ऐसी या इसी प्रकार की अन्य सेवाएं प्रदान किये जाने संबंधी पर्याप्त अनुभव है.
- (iii) चयनित परामर्शी या अंकेक्षक द्वारा आयोग को इस आशय का एक लिखित घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसका इन विनियमों के अन्तर्गत आवंटित किये गये कार्यों तथा कृत्यों के निष्पादन में हितों के संबंध में उसका कोई अन्तर्विरोध नहीं है तथा न ही परामर्शी या अंकेक्षक के इसी प्रकृति के अन्य आवंटित कार्य के प्रति किसी प्रकार अन्तर्विरोध है.
- (iv) विशिष्ट कार्य की आवश्यकता पर निर्भर, आयोग परामर्शी/अंकेक्षक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता निर्दिष्ट कर सकेगा. परामर्शी/अंकेक्षक एक संस्था अथवा व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी योग्यता सनदी लेखापाल (CA) आईसीडब्ल्यू (ICWA)/व्यवसाय प्रबंधन (वित्त) में स्नातकोत्तर उपाधि [MBA (Finance)] होगी, यदि कार्य वित्तीय पहलुओं के संव्यवहार से संबंधित हो अथवा न्यूनतम अर्हता विधि स्नातक होगी यदि कार्य कानूनी पहलुओं से संबंधित है अथवा न्यूनतम अर्हता इलेक्ट्रीकल/मैकेनिकल अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि निर्दिष्ट की जा सकेगी यदि कार्य विद्युत संबंधी विषयों से संबंधित है अथवा यह अर्हता कम्प्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी विषय में स्नातक उपाधि होगी यदि कार्य सूचना प्रौद्योगिकी संव्यवहार से संबंध रखता हो. समस्त प्रकरणों में संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव अनिवार्य होगा.
- (v) परामर्शी/अंकेक्षक को भुगतान योग्य पारिश्रमिक राशि/शुल्क आयोग द्वारा संविदा शर्तों (Terms of Reference) में पृथक से विनिर्दिष्ट की जा सकेगी.

6. **व्यय (Expenses).**—(i) समस्त व्यय तथा संबंधित प्रासंगिक व्यय, जिनका भुगतान इन विनियमों के अन्तर्गत किसी अंकेक्षण कार्य हेतु किया जाना है, की राशि का भुगतान आयोग द्वारा किया जाएगा तथा तत्पश्चात् ऐसे किये गये समस्त व्यय विनियमित इकाई द्वारा आयोग के पक्ष में एक माह के भीतर चुकता किये जाएंगे.

(ii) कथित व्यय के दावे की प्राप्ति हेतु, विनियमित इकाई को निम्न प्रक्रियानुसार अनुज्ञेय किया जाएगा :—

- (अ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी कथित व्ययों का दावा उनकी सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (Aggregate Revenue Requirement) के माध्यम से कर सकेंगे;
- (ब) विद्युत उत्पादन कम्पनियां तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे व्यय का दावा टैरिफ के अवधारण संबंधी आवेदन दाखिल करते समय कर सकेंगे;
- (स) विद्युत व्यापार अनुज्ञप्तिधारी (Trading Licensees) ऐसे व्ययों का दावा उनकी व्यावसायिक उपांत (trading margin) में वृद्धि के रूप में आयोग के अनुमोदन द्वारा कर सकेंगे; तथा
- (द) राज्य भार प्रेषण केन्द्र कथित व्ययों का दावा उनके वार्षिक बजट अनुमोदन के माध्यम से कर सकेंगे.

7. **कार्य विधि (Methodology).**—7.1 आयोग द्वारा परामर्शी/अंकेक्षक को किसी भी समय निर्देशित किये जाने पर उसके एक या एक से अधिक अधिकारियों द्वारा किसी विनियमित इकाई तथा उसकी लेखा पुस्तकों, पंजियों तथा उसके अभिरक्षण में अन्य अभिलेखों का निरीक्षण तथा विनियमित इकाई के मामलों की जांच, जैसा कि आयोग द्वारा उचित समझी जाए, किये जाएंगे बशर्ते यह कि विनियमित इकाई को लिखित में युक्तियुक्त 15 दिवस की अवधि का पूर्व नोटिस ऐसे निरीक्षण और/या जांच हेतु दिया जाएगा.

7.2 प्रत्येक विनियमित इकाई का यह दायित्व होगा कि वह परामर्शी/अंकेक्षक के समक्ष विनियमित इकाई के मामलों के संबंध में ऐसी समस्त लेखा पुस्तकें, पंजियां तथा अन्य अभिलेख प्रस्तुत करें तथा कोई विवरण-पत्र तथा जानकारी जुटाये, जैसा कि वे कथित परामर्शी/अंकेक्षक द्वारा ऐसी निर्धारित अवधि के अन्तर्गत उससे चाही जाए व जैसा कि परामर्शी/अंकेक्षक द्वारा इस संबंध में उसे लिखित में सूचित किया जाए.

7.3 परामर्शी/अंकेक्षक पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य एकत्रित करेगा जो अंकेक्षण के दौरान उसके द्वारा निष्पादित कार्य को अभिलेखबद्ध करने तथा निष्कर्षों तक पहुंचने की आवश्यकता का आधार होगा. यह जानकारी सामान्यतः निम्न विधियों द्वारा एकत्रित की जाएगी :-

- (अ) आंकड़े संबंधी अनुरोध (Data Requests) : आंकड़ों की प्राप्ति की प्राथमिक विधि संबंधित विनियमित इकाई को आंकड़े उपलब्ध कराये जाने संबंधी अनुरोध के माध्यम से होगी. आंकड़ा-अनुरोध प्रक्रिया से प्राप्त आंकड़ों में वित्तीय तथा परिचालन संबंधी जानकारी, प्रक्रिया नियमावलियां, संस्था की सारणियां (चार्ट), प्रतिवेदन, ई-मेल तथा वॉयस-मेल अभिलेख तथा अध्ययन शामिल होंगे. आंकड़ों की प्राप्ति इलेक्ट्रॉनिक विधि अथवा लिखित अभिलेखों के माध्यम से (आवश्यकता पर निर्भर) हो सकती है.
- (ब) स्थल भ्रमण (Site Visits) : परामर्शी/अंकेक्षक संबंधित विनियमित इकाई द्वारा प्रदत्त जानकारी की परिशुद्ध व्याख्या को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थल भ्रमण का संचालन करेंगे. परामर्शी/अंकेक्षक अन्यान्य विषयों में स्थलीय जानकारी का संग्रहण करेंगे, प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे तथा अंकेक्षण कार्य से सुसंबद्ध साक्षात्कार संचालित करने का अवसर भी प्रदान करेंगे.
- (स) साक्षात्कार : परामर्शी/अंकेक्षक व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष पर साक्षात्कार का संचालन भी कर सकेंगे.
- (द) विचाराधीन अंकेक्षण के अन्तर्गत जैसे-जैसे आंकड़े संग्रहित किये जाते हैं, परामर्शी/अंकेक्षक इन आंकड़ों को संकलित करेंगे तथा इनका विश्लेषण करेंगे. परामर्शी/अंकेक्षक भिन्न-भिन्न स्रोतों से एकत्रित जानकारी, उक्त विनियमित इकाई द्वारा आयोग के समक्ष दायर की गई जानकारी तथा सार्वजनिक अभिलेखों को सम्मिलित कर, का विश्लेषण करेंगे. समुन्नत विश्लेषण (Advanced Analysis) के निष्पादन में जटिल स्प्रेड-शीटों तथा आंकड़ा-आधार तैयार किये जाने तथा अधिनियम तथा नियमों, विनियमों व आयोग द्वारा जारी किये गये आदेशों तथा दिशा-निर्देशों के संभावित अनुपालन (potential non-compliance) के नमूनों के परीक्षण का उपयोग किये जाने की आवश्यकता हो सकती है.
- (ई) तृतीय पक्षकार शिकायतें : अनुपालन के क्षेत्रों को भी तृतीय पक्षकार शिकायतों के माध्यम से चिन्हांकित किया जा सकता है, उदाहरण के तौर पर, ग्राहकों की शिकायतें, प्रतिवेदन आदि.

7.4 परामर्शी/अंकेक्षक द्वारा आयोग की पूर्ण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने होंगे, जिसके अन्तर्गत न्यूनतम निम्न पहलू शामिल किये जाएंगे :-

- (अ) प्रतिवेदन के विस्तार क्षेत्र तथा कार्य विधि का विवरण, जिनमें संविदा शर्तों में विनिर्दिष्ट समस्त विषय शामिल होंगे.
- (ब) प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं का विवरण जो विनियामक दायित्वों के परिपालन हेतु स्थापित किये गये हैं, सुसंबद्ध अभिलेखन तथा उत्तरदायी पदाधिकारियों के चिन्हांकन को सम्मिलित करते हुए.
- (स) चर्चा का विवरण प्रदान करना जिसमें दर्शाया गया हो कि परिपालन का नियंत्रण किस प्रकार किया जाएगा, सामान्य परिपालन संबंधी विषयों का निदान करना तथा अन्य विशिष्ट विषय जो उक्त प्रतिवेदन हेतु चिन्हांकित किये गये हों.
- (द) चिन्हांकित किये गये अनुपालन (Non-compliance) के विवरण तथा विनियमित इकाई द्वारा इनमें सुधार बाबत की जा रही कृत कार्रवाई तथा कृत कार्रवाई के पर्याप्त होने का आंकलन.

7.5 प्रतिवेदन में अंकेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित निम्न आशय का प्रमाण-पत्र भी सम्मिलित किया जाएगा, जिसमें उसके द्वारा निम्नानुसार अभ्युक्ति की जाएगी :-

- (अ) परामर्शी/अंकेक्षक द्वारा संविदा शर्तों (Terms of Reference) का परिपालन निष्कर्षों तक पहुंचने तथा प्रतिवेदन तैयार करने में किया गया है.
- (ब) अंकेक्षक द्वारा प्रतिवेदन में अपना व्यावसायिक मत प्रकट किया गया है.

7.6 परामर्शी/अंकेक्षक अपने प्रतिवेदन की एक प्रति विनियमित इकाई को प्रस्तुत करेगा.

8. इन विनियमों के अन्तर्गत प्राप्त किसी प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर, आयोग विनियमित इकाई को प्रतिवेदन के संबंध में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान कर सकेगा, जैसा कि आयोग के मत में इसे युक्तिसंगत समझा जाए तथा संतुष्ट होने पर अधिनियम के अन्तर्गत लेखबद्ध आदेश द्वारा अननुपालन (Non-Compliance) तथा उल्लंघन (Contravention) के संबंध में यथास्थिति समुचित कार्रवाई कर सकेगा.

9. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति.—यदि इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती हो तो आयोग को सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत न होते हुए कोई भी कार्य कर सकेगा जो कठिनाईयों को दूर करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक या समीचीन हो.

10. संशोधन हेतु शक्ति.—आयोग किसी भी समय इस विनियमों के उपबंधों में संशोधन कर सकेगा.

11. आदेश तथा व्यावहारिक दिशा-निर्देश.—इन विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग इन विनियमों के कार्यान्वयन के संबंध में समय-समय पर आदेश तथा व्यावसायिक दिशा-निर्देश जारी कर सकेगा.

टीप.—इस “मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिपालन अंकेक्षण) विनियम 2010” के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा.

आयोग के आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव.

Bhopal, the 27th October 2010

No. 2910-MPERC-2010.—In exercise of powers conferred by Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations, namely :—

MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (COMPLIANCE AUDIT)
REGULATIONS, 2010

1. **Preamble.**—The Forum of Regulators has prescribed Regulations on Compliance Audit of Regulated Entities for verifying their compliance with the Electricity Act, 2003 and Regulations made thereunder. Accordingly, these Regulations have been framed.

2. **Short Title, Extent and Commencement.**—2.1 These Regulations may be called the “Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Compliance Audit) Regulations, 2010 (G-36 of 2010)”.

2.2 These Regulations shall be applicable in whole of the State of Madhya Pradesh.

2.3 These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

3. **Definitions and Interpretations.**—3.1 In these Regulations, unless the context otherwise requires :

(a) “Act” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(b) “Regulated Entity” means Distribution Licensee or Generation Company or Transmission Licensee or Trading Licensee or State Load Despatch Centre;

3.2 Words and expressions used and not defined in these Regulations but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act.

4. **Compliance Audits.**—4.1 The Commission may, at any time, conduct audit of Regulated Entity for verifying their compliance with the Act, Rules, Regulations made thereunder, orders and directions issued by the Commission.

4.2 The Commission may, by order, empanel Consultants/Auditors required to assist the Commission in the discharge of these functions on the terms and conditions as deemed fit.

4.3 The Commission may either appoint Consultants/Auditors empanelled with it for an audit or go through the process of fresh selection, if required for a specific need.

4.4 The Commission may also consider the single source selection of Consultants/Auditors in exceptional cases where it is appropriate.

4.5 The Commission, before initiating on audit, will frame the Terms of Reference which will detail out the specific outputs that are to be provided by the Consultant/Auditor in relation to the task, the timeframe in which the task has to be completed and other terms relevant to the task.

4.6 The Commission shall assign, through an Order, the specific task of audit to the Consultant/Auditor based on the Terms of Reference framed by it before the audit of the Regulated Entity starts.

5. **Requirements of consultant/Auditor.**—Consultants/Auditors shall provide professional, objective and impartial advice and at all times hold the Commission's interests paramount, without any consideration for future work and that in providing advice they avoid conflicts with other assignments and their own corporate interests. Consultants/Auditors shall not be hired for any assignment that would be in conflict with their prior or current obligations to other clients or that may place them in a position of being unable to carry out the assignment in the best interest of the Commission. Without limitation on the generality of the foregoing, Consultants/Auditors shall be engaged keeping in view the circumstances set forth below :—

- (i) A Consultant or an Auditor engaged for a particular audit must not hold office or have a commercial or any other interest in the Regulated Entity for a period of two (2) years preceding the engagement by the Commission.
- (ii) While conducting an audit, the Consultant or Auditor would be expected to do so honestly, fairly, professionally, independently and objectively and exercise a standard of skill, care and diligence that would be reasonable to expect of a person who is skilled and who has substantial experience, in the provision of services the same as or similar to those to be provided by the Auditor.
- (iii) The selected Consultant or Auditor would be required to provide a written declaration to the Commission that he has no conflict of interest while performing the tasks and functions assigned to him under these Regulations nor by its nature, may be in conflict with another assignment of the Consultant or Auditor.
- (iv) Depending upon the requirement of the specific task, the Commission may specify minimum educational qualification of the Consultant/Auditor. Consultant/Auditor may be a firm or a person with qualification of CA/ICWA/MBA (Finance) if the task deals with financial aspects or minimum qualification could be LLB, if the task deals with legal aspects or the minimum qualification could be specified as BE (Electrical)/BE (Mechanical) if the task deals with the Electricity related issues or BE (Computer)/IT if the task deals with the information technology. In all cases minimum 10 years experience in the relative field shall be necessary.
- (v) The remuneration/fee payable to the Consultant/Auditor may be specified by the Commission in the Terms of Reference separately.

6. **Expenses.**—(i) All expenses of and incidental to, any audit made under these Regulations shall be paid by the Commission and thereafter such expenses shall be defrayed by the Regulated Entity in favour of the Commission within a month.

(ii) The Regulated Entity shall be permitted to claim the said expenses as follows :—

- (a) Distribution Licensees may claim the said expenses as pass through in Aggregate Revenue Requirement;
- (b) Generation Companies or Transmission Licensees may claim the said expenses while filing application for determination of tariff;
- (c) Trading Licensees may claim the said expenses as increase in trading margin with the approval of Commission; and
- (d) State Load Despatch Centre may claim the said expenses as pass through in its annual budget approval.

7. **Methodology.**—7.1 The Consultant/Auditor may, at any time and shall, on being directed so to do by the Commission, cause an inspection to be made, by one or more of his Officers, of any Regulated Entity and his books of account, registers and other documents in its custody and to investigate into the affairs of the Regulated Entity in a manner as deemed fit by the Commission :

Provided that the Regulated Entity shall be given a reasonable advance notice not less than 15 days in writing of such inspection and/or investigation.

7.2 It shall be the duty of every Regulated Entity, to produce before the Consultant/Auditor, all such books of account, registers and other documents and to furnish him with any statement and information relating to the affairs of the Regulated Entity, as the said Consultant/Auditor may require of him within such time as the said Consultant/Auditor may intimate in writing in this behalf.

7.3 The Consultant/Auditor shall collect sufficient amount of evidence to document the work performed and to serve as the basis for the conclusions reached during the course of the audit. The information gathered will be generally through :—

- (a) **Data Requests**—The primary method of obtaining data shall be through data requests to the concerned Regulated Entity. The data obtained through data requests could include financial and operational information, procedures manuals, organization charts, reports, email and voice mail records and studies. The data may be obtained either electronically or as paper documents (depending upon the requirement).
- (b) **Site Visits**—The Consultant/Auditor shall conduct Site visits to ensure accurate interpretation of the information provided by the concerned Regulated Entity. The Consultant/Auditor shall inter alia collect materials on-site, observe processes and offer an opportunity to conduct face-to-face interviews, as relevant to the audit.
- (c) **Interviews**—The Consultant/Auditor may conduct interviews in person and over the phone.
- (d) As the data are collected from the Regulated Entity under audit, the Consultant/Auditor shall compile and analyze the data. The Consultant/Auditor shall analyze information gathered from multiple sources, including filings made before the Commission by such Regulated Entity, as well as from public records. Advanced analysis may require the creation of complex spreadsheets and databases and the use of sampling to test for potential non-compliance of the Act, Rules, Regulations made thereunder, orders and directions issued by the Commission.

- (e) Third party complaints—Areas of non-compliance may also be identified through third party complaints, for example, customer complaints, reports, etc.

7.4 The Consultant/Auditor will be required to provide full reports to the Commission, which shall contain, as a minimum :—

- (a) a description of the reporting scope and methodology, which should include all matters specified in the Terms of Reference;
- (b) a description of the systems and procedures that have been established to comply with regulatory obligations, including the identification of relevant documentation and responsible positions;
- (c) a discussion of how compliance is managed, addressing generic compliance issues and any specific issues identified for that report;
- (d) details of any non-compliance identified and the actions being undertaken by the regulated Entity to rectify them and an assessment of the adequacy of the actions.

7.5 The report shall include a statement, signed by the Auditor, which states that :—

- (a) the Terms of Reference have been complied with by the Consultant/Auditor in making findings and in preparing the report; and
- (b) the report reflects the professional opinion of the Auditor.

7.6 The Consultant/Auditor shall supply to the Regulated Entity a copy of his report.

8. On receipt of any report under these Regulations, the Commission may, after giving such opportunity to the Regulated Entity, to make a representation in connection with the report as in the opinion of the Commission, seems reasonable, by order in writing take appropriate action under the Act on being satisfied regarding the non-compliance or contravention, as the case may be.

9. **Power to remove difficulties.**—If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these regulations, the Commission may, by general or special order, take suitable action, not being inconsistent with the Act, which appears to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

10. **Power to amend.**—The Commission may at any time, amend any provisions of these Regulations.

11. **Orders and Practice directions.**—Subject to the provisions of the Act, the Commission may from time to time issue orders and practice directions in regard to the implementation of these Regulations.

By order of the Commission,
P. K. CHATURVEDI, Commission Secy.